छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर - 0 - -

नया रायपुर, दिनांक। 2/05/2016 क्रमांक / 4077 / 2282 / 2014 / 38-2

प्रति.

1

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़.

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2016-17 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका विषय :--सिद्धांत तैयार करने बाबत्।

- - 0 - -

राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए वर्ष 2015–16 में जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत शैक्षणिक सत्र 2016–2017 के लिए यथावत लागू होगें। कृपया सभी शैक्षणिक संस्थाओं को सूचित करते हुए प्रवेश मार्गदर्शक सिद्धांत में दिये 2/ गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

> (भुवनेश यादव) संयुक्त सचिव A छत्तीसगढ़ शासने, उच्च शिक्षा विभाग नया रायपुर, दिनक /05/2016

पृ.क.

/ 2282 / 2014 / 38-2 1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उ० शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर

- 2. निज सहायक,प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
- 3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
- की ओर सूचनार्थ।
- 4. आदेश फोल्डर।

- ऽव संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग



m(letter)787

Scanned by CamScanner

छत्तीसगढ शासन छत्तीसगढ के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सत्र 2015-2016

- 1.
- ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ 1.1 सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कडाई से पालन करना 1.2 होगा। "प्रवेश से आशय रनातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा रनातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम समेस्टर से है।
- प्रवेश की तिथि :--2.
- प्रवेश हेत् आवेदन पत्र जमा करना :--2.1
 - आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संख्या के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची कं आवेदन पत्र जमा किये जावें।

प्रवेश हेत् अंतिम तिथि निर्धारित करना :--2.2

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्रावार्य स्वय तथा 14 अगस्त तक कलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की रिश्वति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मवारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पत्र-पत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यमार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेत् निर्धारित अदिम तिथि के पूर्व क्रिय महाविद्या स्वित्य महाविद्या स्वित्य महाविद्या स्वित्य महाविद्या स्वित्य महाविद्या अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

क ''क'' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश राण था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया इस ग्थान (ब) के केसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना वाहता है, रिक्त रथान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ''ख'' ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान

I CAL

(5.1.

(a) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित और तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3

पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुकम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुकम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में ख्यान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

- 3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :--
- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की त्यवस्था प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावंगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि वाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढे हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"
- 3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कॉसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुकम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय / रवशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय / विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।
- 4. प्रवेश सूची :-
- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको एवं जहां अधिभार देय है. वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुकम सूची, प्रतिशत अक सहित सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं रथानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तल्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रदद करना वाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात इ.महाविद्यालय प्रमाण–पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य ऊप से निरस्त घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर समी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति नही

रथानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की रिथति में विद्यार्थी द्वारा निकटरथ पुलिस थाने मे 4.5 एफ.आई.आर दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त सरथा से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुकमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो. प्राप्त होने की रिथति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेत् विद्यार्थी से वयन पत्र लिया जाये। महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/अनुशासनहीनता/ तोडफोड आदि में 4.6 संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलवन्द लिफाफे में वन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र / छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है। छत्तीसगढ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653 / 2014 / 38-1 दिनाक 10.09.2014 अनुसार "राज्य शासन, एतद द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत रनातक 47 स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।" का

प्रवेश की पात्रता :-5.

TR (8.1

4.4

- निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :--5.1
- छत्तीसगढ के मूल / स्थायी, छत्तीसगढ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी / राज्य या केन्द्र कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के हुत्व महाविशालु विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। रिवल फल उपरोक्तान्सार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुकम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
 - सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से
 - ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-5.2

10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की प्रात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश

दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्सीण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम / द्वितीय वर्ष की पराक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की कमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।
- 5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-
 - (क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमश एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.-पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अईकारी विषय लेकर, बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस-सी/एम.ए.-पूर्व में नियमित प्रवेश की एम.वता होगी।
 - (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
 - (ग) रनातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम -
 - रनातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
 - 2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में एटी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :--

のような

17 16

- (क) रनातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि रनातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एल.एल बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लाग.

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :--

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुस्यित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%) होगी। विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में 55% अर्क प्राप्त आवेदकों का ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से उ क्रमहोविश्यपूर्णमों में प्रवेश / संचालन पर संबंधित संख्या के प्रावधान प्रभावी होंगे। 6.1

6.2

समकक्ष परीक्षा :-सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी वी एस ई.) इंडियन कॉसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की

सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय सघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं. उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं. उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम सचालित करते हैं. किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है को परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय करते हैं. किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है को परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ राज्य के वाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ राज्य में अध्ययन केन्द/ऑफ केम्पस आदि खोलकर छात्र–छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–सगय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनको उपाधि मान्य नहीं है की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में रनातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रायन की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रेमाक 1—52 / 2013(सीसी / एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार —

"जैसा कि आपको जात है आर्थिक कार्य विभाग जिल मंत्रालय द्वारा अधिसुचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संताधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र स सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बार्ड द्वाल छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये अर्थ एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बार्ड द्वाल छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अतर्मत छात्रा को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे है। एस छात्र एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानबद्रसंसोधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विष्ठाविद्यालय एव-महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठयक्रम में दास्तिला लेने के इच्छक है तथा जिनके

Prayesh Margdarshika Sidelhani 2015-10

पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अत मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।"

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :--

ANS STAT

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यकम लागू होने से छत्तीसगढ के किसी भी विश्वविद्यालय/ स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/ रवशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों/विषय सगूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों / विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाये।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देनी होगी किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित बिद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
- अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-
- 8.1 10+2 तथा रनातक स्तर की प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम द्वितीय तृतीय में पूरक एटी केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

धि स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक को आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

स्थित कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होंगी है।

- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अरथायी प्रवेश प्राप्त छात्र / छात्राओं का अरथायी प्रवेश स्वत निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अरथायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।
- 9 प्रवेश हेतु अर्हताएं :--
- 9.1 किसी भी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र / छात्र जो उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल ख्यानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण यल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सन्न में छात्रौं/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।
- 9.3 महाविद्यालय में तोडफोड करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वालं/रंगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
- 9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :--
 - (क) रनातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं रनातकोत्तर पूर्वर्द्ध / प्रथम सेमेरटर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की रिथति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं रनातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।
 - (ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/ कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
 - (ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतुं अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।
 -) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु रनातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्व / प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछडा वर्ग / ति शक्त अभ्यर्थी / महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा मे 3 वर्ष की छूट रहेगी।

Pravesh Margdarshika Siddhani 2015-16

महातिष्ठ स्व

- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्त्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पन्न प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.6 किसी संकाय में रनातक उपाधि प्राप्त छात्र / छात्राओं को किसी अन्य संकार्यों के स्नातक पाठयकम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 10. प्रवेश हेतु गुणानुकम का निर्धारण :--
- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायगा।
 - (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अहेकारी परीक्षा के प्राप्ताक एवं आधमार देय है, तो अधिभार जोडकर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
 - (ख) विधि रनातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुकम सूची तैयार की जावेगी।

- 11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :--
- 11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/ स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/ स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के कमानुसार रहेगा।
- 11.2 स्नातक/रनातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सन्न के नियमित/रनाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीमेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अध्यदा उसक निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों की प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिलों में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुकम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुकम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पालता होगी।
- 11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा. किसी एक विषय का स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोन्तर कहा में प्रवेशु महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकना।



12. आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से <u>बत्तीस प्रतिशत</u> सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी। ST - 32'
- (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी। SC - 1.2'.
- (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत् सीटें अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं. तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहाँ खण्ड (क). (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीट, अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

- 12.2 (1) बिन्दु क 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
 - (2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क). (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3 स्वतत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र पुत्रियों तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के प्राप्ताकों को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गी का सम्मिलित गुणानुकम निर्धारित किया जावेगा।
- 12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत् रथान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है. तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संबर्ग जैसे- स्वतत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी शेष संवर्ग की सीटें मरी जायेगी।

आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उंपलबा नहीं होगा. /2 प्रतिशत् एवं एक प्रतिशत् के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी। तभू –कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत् तक सीट वृद्धि कर प्रवेध दिया आए था न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी।

- समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये। 12.8
- कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर के निर्णय 12.9
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण कमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400 / 2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एव अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि – "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational
- अधिभार :--13.

अधिभार मात्र गुणानुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा. पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्नों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स 13.1

- एन.एस.एस. / एन सी.सी ''बी''' सटिफिकेट
- "सी" सर्टिफिकेट या ततीय सोपान उत्तीर्ण स्काउटरा
- में ग्रूप का प्रतिनिधितत्व करने वाले छात्रों को
- राष्ट्रपति स्काउटरा छत्तीसगढ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कंडेट डयुक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन सी.सी. कडेट भारत एवं अन्य साष्ट्रों के मध्य युथ एक्सचेज प्रोग्राम मे

भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए

विषय पाठ्यकम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को रनातकोत्तर

चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय

, इ.स.कीष अहारित्यात्वय 6.17 1013 कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर

Scanned with CamScanner

1:	 3.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विवज / रूपांकन प्रतियोगिताएं : (1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ उच्च शिक्षा विभ जिला. संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आ स्तर प्रतियोगिता में : (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को (ख) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचार अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विद्यविद्यालय संगठन द्वा प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत संस्कार प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत संस्कार प्रतियोगिता में : 	योजित अतर समाग / क्षत्र 02 प्रतिशत 04 प्रतिशत ननालय द्वारा आयोजित रा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय र आई यू द्वारा आयोजित
	the second and the second seco	06 प्रतिशत
	(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टॉम के प्रत्यक सदस्य की (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
	(ग) सभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत
	(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्र	लय, भारत सरकार द्वारा
	आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :	
	(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त	15 प्रतिशत
	करने वाले को	
	(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम	12 प्रतिशत
	के सदस्यों को	
	(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	10 प्रतिशत
13.4	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्यरल	
	एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक /	10 प्रतिशत
	कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को	
13.5		
	(क) छत्तीसगढ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के	10 प्रतिशत
	सदस्य को	
	(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की	12 प्रतिशत
	टीम के सदस्यों को	
13.6	जम्मू-कश्मीर के विखापितों तथा उनके आश्रितों को	01 प्रतिशत
13.7	विशेष प्रोत्साहन :	· · · · ·

छत्तीसगढ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी. / खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड / एशियाड / स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में

esh Margdarshika Siddhani 2015-16

कीय

(. . .) · IF

भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुकम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीध प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि

- इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक खेल एवं युवक कल्याण. छत्तीसगढ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
- यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सन्न तक के प्रमाण-पन्न रनातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण–पत्र अधिभार हेत् मान्य होंगे।
- संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :-14

रनातक / रनातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुकम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में रनातक/ रनातकोत्तार प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / गुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुकम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो। शोध छात्र :-

15

पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम ४ वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे. प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेनु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण–पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन प्रहाविद्यालय

हरित किया जावेगा।

RAN महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति खुंशीघ छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शीघ महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

विशेष :-

- जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी जानबझकर छिपाय गये प्रतिकृल तथ्यों प्रशासकीय अधवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को 16.1 निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण. पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या 16.2 अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्रावाये
- प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एव 93 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणा में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अधवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को
- प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त 16.4
- प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश सवधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की 16.5 किसी भी प्रकरण को केवल अगेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6

(डॉ ए के पाण्डेय) छ ग शासन, उच्च शिक्षा विभाग





संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) (छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित) Email: - registrarsua@yahoo.co.in Phone: - 07774-222789, Fax:- 07774-222791

क्रमांक : २५१/ अकादमिक / 2021

अभिवकाषुर, दिनाक ३१.०३.२०२१

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अधियूचना क्रमांक 1188/अकादगिक/सम्बद्धता/2019 अभ्विकापुर, दिनांक 15.11.2019 के अनुक्रम में शासकीय महाविद्यालय, सिरुफिली जिला-सूरजपुर (छ.ग) को कला विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों की रनातक कक्षाओं हेतु निम्नांकित सीट संख्या के अनुसार सत्र. 2019–20 से स्थाई सम्बद्धता प्रदान की गयी है –

क्रमांक	कक्षा / पाठ्यक्रम	सीट संख्या
1.	वी.ए.	100
2.	वी एस.सी	60
З.	बी.कॉम	60

आदेशानुसार

म सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

seculi

Principal Govt.-College Silphili Distt.-Sureppur (C.G.)



शासकीय महाविद्यालय, सिलफिली, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) Government College, Silphili, Dist. Surajpur C.G.

Website-Govtcollegesilphili.ac.in

E-mail-govt.collegesilhili@gmail.com

S.No.	PROGRAMME	TOTAL SEAT	UR	ST	SC	OBC
1	B.A.	100	42	32	12	14
2	B.Sc.	60	25	19	7	9
3	B.Com	60	25	19	7	9
	TOTAL	220	92	70	26	32

PROGRAME-WISE SEATS FOR RESERVED CATEGORY

Loram Principal

Covt.-College Silphili Distt.-Surajpur (C.G.)